जनजातीय संवैधानिक अधिकार और पेसा एक्ट (म.प्र.राज्य के संदर्भ में)

Tribal Constitutional Rights And PESA Act

(With Reference To The State Of M.P)

सुखदेव सिंह वरकडे

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

शासकीय स्नातक महाविद्यालय भुआ बिछिया जिला मंडला म.प्र.

संक्षेपिका

जनजातीय समाज का इतिहास मानव समाज के इतिहास के साथ ही प्रारम्भ हुआ। मानव समाज का विकास हजारों वर्ष पूर्व विकास के निश्चित क्रम के पश्चात हुआ जो विभिन्न अलग–अलग स्तरो से होता हुआ आधुनिक समाज तक हुआ। विकास के इस क्रम में सभी मानव समाज का समान विकास होना था किन्तु ऐसा नही हो पाया और ये मानव वनों, दुर्गम स्थानों, जीवन की आदिम अवस्था में ही अपना जीवन जीने को विवश है ऐसे मानव समूह को कालान्तर में विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया जैसे– वनवासी, आदिवासी ,आदिम जाति, पिछडे हुऐ हिन्दू ,पर्वतवासी, देशज आदि । जनजाति समाज को विकास की मुख्यधारा से जोडने के लिऐ स्वतंत्रता के पश्चात से ही विभिन्न योजनाऐ संचालित किऐ गऐ एवं संविधान में प्रावधान रखे गऐ जिससे इनका संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हो सके विकास की इसी कडी में म.प्र शासन के द्वारा जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिऐ पेसा एक्ट लागू किया जाना एक क्रातिकारी कदम है। यह कदम जनजातीय विकास के लिऐ निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा।

संकेत शब्द :– नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, अनुसूची, सामंती, साहूकारी, रूढियॉ, फलिया, मजरा

जनजातीय समुदाय/समाज

भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10.4 मिलियन है जो कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत है । आज जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाठ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहें है अधिकांश जनजातीय समुदाय ऐसे भौगालिक क्षेत्रों में निवास करती है जहॉ सभ्यता अपनी आदिम अवस्था को लिऐ हुऐ है। आज भी इनका जीवन स्तर उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सका जितना होना चाहिऐ था जनजाति बाहुल्य राज्यों में जनजाति समुदाय शैक्षणिक, आर्थिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी भी समस्याग्रस्त है। जबकि विश्व प्रगति की ओर निरंतर आगे की ओर बढ रहा है।

जनजाति के बारे में नृशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों ,और साहित्यकारों ने परिभाषित करने का प्रयास किया गया :–

राल्फपिडिंगटन के अनुसार " हम एक जनजाति की व्याख्या व्यक्तियों के ऐसे समूह के रूप में कर सकते है जो समान भाषा बोलता हों समान भू–भाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समानता पायी जाती हो।"

हॉबल के अनुसार– कोई जाति एक सामाजिक समूह है, जो एक विशेष भाषा बोलती है तथा जिसकी विशिष्ट संस्कृति है, जो इन्हें दूसरे जनजाति समूहों से अलग करती है। यह अनिवार्य राजनैतिक संगठन नहीं है।

डॉ. मजूमदार का मत है कि " एक जनजाति परिवारों के समूह का संगठन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है ,जिसके सदस्य एक निश्चित भू–भाग में रहते हैं समान भाषा बोलते है और विवाह, व्यवसाय या उद्योंग के विषय में विकसित निषेधात्मक नियमों का पालन करते है तथा पारस्परिक कर्त्तव्यों की एक सुविकसित व्याख्या करते है। "

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार :–" अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य वे जनजातियॉ अथवा जनजातीय समुदाय अथवा इस प्रकार की जनजातियॉ अथवा जनजातीय समुदाय के अंशों अथवा समूहों से है जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना से अनुसूचित जनजाति उल्लेखित किऐ गऐ हों "

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर जनजाति या वन्य जाति से एक ऐसे समूह का ज्ञान होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भागोलिक क्षेत्र में सभ्यता की आदिम अवस्था में निवास करते है साथ इनकी अपनी विशेष प्रकार की भाषा, धर्म, प्रथा, रूढि और परम्पराऐं है । इनकी अपनी सामाजिक संगठन तो है किन्तु राजनैतिक संगठन नही पाया जाता है।

जनजातियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे आदिम जाति, असभ्य, वनवासी, आदिवासी आदि । जनजातियों का जीवन प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित है इनका जीवन ऐसी शक्तियों से भरा पडा है। ये लोग अशिक्षित ,निर्धन ,विशेष प्रकार की वेषभूषा, अपनी संस्कृति के कारण सभ्य समाजों के आकर्षण का केन्द्र बने है। इनकी अज्ञानता व भोलेपन का लाभ उठाना ब्रिटिश शासन काल के पूर्व ही सामांती व्यवस्था, के समय से दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात श्रम जैसी समस्याऐ थी । अंग्रेजी शासनकाल में जनजातीय क्षेत्रों में रेलवे लाईन डालने वाले ठेकेदार, व्यापारियों ने खूब षोषण किया। नगरीयकरण व औद्यौगिकीकरण के कारण इन क्षेत्रों में समस्या और बढ गई। इन क्षेत्रों में खानों और फैक्टिरियों में मजदूरी के लिऐ जनजातीयों का शोषण कम वेतन देकर अधिक काम लेकर किया गया साथ ही जनजातीय स्त्रियों पर अनाचार एव अनैतिकता बढ गया। उपरोक्त समस्याओं से ग्रसित समाज के संरक्षण एवं विकास हेतु स्वतंत्रता पश्चात संविधान में प्रावधान रखा गया ।जिससे देश के सभी वंचित वर्गो में समानता व सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके इसकी आवश्यता को महसूस किया गया । जिसके लिऐ सामाजिक व आर्थिक विकास के लिऐ ऐसी जनजातियों की एक अनुसूची का निर्माण किया गया जिन जनजातियों को इस अनुसूची में रखा गया उन्हें "अनुसूचित जनजाति " कहते है।

जनजातियों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान :–

जनजाति या वनवासी अथवा आदिवासी की उपस्थिति और उनके महत्व का परिचय समाज में स्वतंत्रता के पूर्व से ही हो चुका था। ये जनजाति वनो, दुर्गम ,पर्वतीय स्थानों में निवासरत अपनी आदिम जीवन शैली को लिऐ हुऐ जिसमें अपनी विशिष्ट भाषा, रूढि मान्यताओं के साथ सीधा सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करते है ये प्रकृति प्रेमी एवं शांत स्वभाव के होते है यदि कोई इनकी संस्कृति को प्रभावित करता है या करने का प्रयास करते है तो इतिहास गवाह है उनका विरोध हुआ है जो आंदोलनो में परिणित हुआ है। आजादी के पूर्व विभिन्न जनजातीय आंदोलन भारतीय जनजातीयों की सजगता को व्यक्त की है विशेष रूप से बिहार में संथाल ,उरॉव, झारखण्ड के मुडां ,म,प्र के गोंड आदि जनजातीय आर्थिक एवं सामाजिक समानता तथा राजनैतिक स्वतत्रता के लिऐ संगठित हो कर आंदोलन किये है। इन्होने अंग्रेजो से लोहा लिया एव जनजाति समाज के बारे में सोचने के लिऐ विवश किया । इसी सक्रियता का परिणाम है कि इनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता के बाद इनके संरक्षण एवं विकास के लिऐ भारतीय संविधान में प्रावधान रखा गया जिसका उद्देश्य जनजातियों को देश के अन्य नागरिकों के समकक्ष लाना ,देश की मुख्य जीवन धारा के साथ जोडना तथा एकीकरण करना ,देश की आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में भागीदार बन सकें।

स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माताओं ने इनके अविकसित रूप को ध्यान में रख कर इन्हें विशेष महत्व देते हुऐ ,विकास हेतु संविधान के विभिन्न भागों और धाराओं में इनके लिऐ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की । संविधान में इनके विकास और कल्याण का दायित्व राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के माध्यम से सरकार को दिया गया । संविधान में जनजातीय विकास के लिऐ संवैधानिक प्रावधानों को दो भागों में विभाजित कर समझा जा सकता है।

(1) जनजातीय संरक्षण संबंधी प्रावधान :–

संविधान मे प्रदत्त संरक्षण सम्बंधी प्रावधान से तात्पर्य जनजातीय समाज में हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक शोषण एवं अन्याय को रोकना है जिससे संविधान की मूल धारणा शोषण मुक्त समाज, अन्याय मुक्त समाज, समतावादी समाज, आदि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें। इसके अंतर्गत प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है :–

अनुच्छेद 15(2) :– इस अनुच्छेद में यह प्रावधान रखा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान अथवा इनमें किसी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाऐगा ।

अनुच्छेद 15(4) :– इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार राज्य में सामाजिक और शौक्षणिक रूप से पिछडें लोगों तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों की उन्नति एवं प्रगति के लिऐ उपबंध बना सकती है।

अनुच्छेद 16(4) :– नागरिकों के किन्हीं पिछडें वर्गो को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाऐगा यदि इन वर्गो का प्रतिनिधित्व सेवाओं में पर्याप्त न हों।

अनुच्छेद 19(1 -D & 1-E) :– इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों को निर्बाध संचरण ,उसके किसी भाग में बसने ,निवास करने और सम्पत्ति क्रय विक्रय करने का अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 19(5) :– इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जनजाति लोगों के हितों की विशेष रक्षा पर अनुच्छेद 19(1 -D & 1-Eके प्रावधानों पर प्रतिबंध लगा सकती है क्योंकि जनजातीय समाज के साथ सभी प्रकार की धोकेबाजी करना और इनका शोषण करना आसान है इसलिऐ ऐसा प्रावधान रखा गया हैं ।

अनुच्छेद 23 :– इस अनुच्छेद में तीन प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है जैसे– मानव दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात श्रम यह प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय लोग बहुत ही सीधे– साधे सहजता से बातों को मान लेते है जिससे इनके साथ साहूकारों , जमीदारों एवं रसूखदारों के द्वारा मानव दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात श्रम जैसे कृत्य किऐ जाते रहें है।

अनुच्छेद 29 :– यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाऐ रखने का संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाऐगा।

अनुच्छेद 46 :– राज्य दुर्बल वर्गो विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बंधी हितों में अभिवृद्वि करेगा और सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करेगी ।

अनुच्छेद 164 :– अनुच्छेद 164(भाग 6) के अनुसार बिहार ,उडीसा, तथा मध्यप्रदेश राज्यों में जनजातियों की बडी आबादी है और जनजातियों के लिऐ विशेष रूप से मंत्रालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 330 ,332 एवं 334 :– लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिऐ स्थान सुरक्षित किया गया है।

अनुच्छेद 335 :– अनुच्छेद यह आश्वासन देता है कि सरकार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति के लिऐ स्थान सुरक्षित रखेगीं।

अनुच्छेद 338 :– राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिऐ विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है । यह अधिकारी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जनजातीय विकास संबंधी प्रावधान :–

अनुच्छेद 275 :– इस अनुच्छेद के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण हेतु उचित प्रशासन के लिऐ विशेष धनराशि देगी। राज्य सरकार इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक ,तथा आर्थिक हितों को ध्यान रखते हुऐ विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में खर्च करेगी ।

अनुच्छेद 339 :– इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के दस वर्ष के पश्चात अथवा इससे पहले ही राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा जनजातियों के कल्याण कार्यो की एक रिर्पोट मॉग सकता है।

अनुच्छेद 340 :– इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति को किसी भी समय ऐसे आयोग की नियुक्ति कर सकता है जो पिछडें हुऐ वर्गो के विकास के लिऐ सुझाव दे।

अनुच्छेद 342 :– इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की सलाह से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार देता है।

पांचवी और छठवी अनुसूचियॉ

संविधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान में जनजातीय समुदाय की बहुलता जिन क्षेत्रों में है ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिऐ विशेष उपबंध का प्रावधान हैं जिससे इन क्षेत्रों के जनजाति समुदाय को बिना किसी बाधा या हस्तक्षेप के पूरा अधिकार प्रदान किया जा सके। जिनका उल्लेख संविधान के दसवें भाग में अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवी अनुसूची को चार भागों में विभक्त किया गया है। अनुसूची के भाग क में अनुसूचित क्षेत्रो में राज्य कार्यपालिका की शक्तियॉ, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को रिर्पोट करना, भाग ब में अनुसूचित क्षेत्रों और उनके प्रशासन के लिऐ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन एवं परिषद के विनियमित के लिऐ राज्यपाल विनियम बना सकेंगे। भाग ग में अनुसूचित क्षेत्र घोषित महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा करने की प्रकिया को रखा गया है। अनुसूची के भाग घ में अनुसूची में संशोधन के उपबंध रखे गऐ हैं। वर्तमान में पांचवी अनुसूची देश के 10 राज्य (आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचलप्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, और तेलंगाना) में लागू है ।

पांचवी अनुसूची में यह प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बंधित रिर्पोट मांगे राज्यपाल रिर्पोट प्रस्तुत करेगें साथ ही उनका उपदेश प्राप्त करे। अनुसूची में ही उल्लेख है कि राज्य सरकार राज्यपाल की सलाह से जनजातीय सलाहकार परिषदों की नियुक्ति करेगे प्रत्येक परिषद में अधिकतम बीस सदस्य हो सकते है जिनमें से तीन चौथाई अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होने चाहिऐ। अनुसूची में विशेष अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है जिसके अंतर्गत राज्यपाल को लगता है कि सामान्य कानून जनजातियों संरक्षण एवं विकास को बाधित करता हो तो ऐसे कानूनों में परिवर्तन कर सकती है राज्यपाल अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में शांति बनाऐ रखने एवं प्रशासन का संचालन सुचारू रूप से करने के लिऐ नियम बना सकती है। राज्यपाल अपने राज्य में भूमि हस्तांतरण को रोकने, भूमि आबंटन करने, व्यापारियों, साहूकारी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिऐ नियम बना सकती है किन्तु कोई भी नियम जनजातीय सलाहकार परिषद की सलाह के बिना नही बनाऐ जा सकते है।

छठवीं अनुसूची :– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। अनुसूची में प्रशासन के लिऐ ऐसे क्षेत्रों में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश एवं जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। अनुसूची मे विधि बनाने की शक्ति जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों को है जिससे ये परिषदे किसी आरक्षित वन की भूमि से भिन्न भूमि, कृषि या चराई के प्रयोजन के लिऐ अथवा निवास के या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजन से जिससे ग्राम के निवासियों का हित हो ऐसी भूमि का आबंटन, वनों एव प्राकतिक संसाधन पानी के उपयोग, स्थानांतरित कृषि संबंधी नियमन, ग्रामों में विभिन्न समितियों का निर्माण, इनके अधिकार ,ग्राम प्रमुख की नियुक्तियॉ, विवाह, सामाजिक रीति–रिवाज, रूढि प्रथाओं का संरक्षण, के बारे में कानून बनाने का कार्य करती है। परिषदों के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में कानून निर्माण एवं दण्ड विधानों का निर्माण स्थानीय परंपराओं के अनुकूल बनाऐ जाते है। ये प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना, भू–राजस्व का निर्धारण, स्थानीय बाजारों, मेलों में कर लगाना एवं बसूली करना, क्षेत्र में खनन या लायसेस या पट्टे देने का कार्य भी परिषदे कर सकती है। परिषदो को यह अधिकार है कि यह केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा बनाऐ गऐ कानूनों को क्षेत्रों में लागू होने से प्रतिबंधित या सीमित भी कर सकती है।

अनुसूची में कुछ वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिऐ जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों को इसके अलावा किसी न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के अधीन शक्तियों को राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाने का प्रावधान रखा गया है।

संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि इन परिषदों को अपनें आय–व्यय का विवरण रखना होगा । राज्यपाल को कभी ऐसा लगता है कि परिषदों के लेखों की जॉच करानी चाहिऐ आयोग नियुक्त कर जॉच करा सकती है। साथ ही राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि ऐसा लगता है कि परिषदों की गतिविधियों से देश की एकता अखण्डता और सुरक्षा को खतरा है जॉच करा सकता है यदि सही पाऐ जाने पर इन्हे बर्खास्त कर सकती है।

अतः यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय समुदायें के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्वायत्तता की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के कारण ही देश के विभिन्न जनजातीय बहुल राज्यों में स्वायत शासन एवं स्थानीय शासन व्यवस्था के लिऐ छठवीं अनुसूची लागू करने की मांग समय समय पर उठती रहती है।

जनजातीय विकास में पेसा एक्ट एक क्रांतिकारी कदम :–

पेसा एक्ट यानि पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) 1996, के जनक कहे जाने वाले आदिवासी सामाजिक चिंतक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री दिलीप सिंह भूरिया की सिफारिसों पर ही 24 दिसंबर 1996 को केन्द्र सरकार ने लागू किया। पेसा एक्ट केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई भूरिया कमेटी के प्रस्तावों को कानून की शक्ल देकर बनाया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह भूरिया थे। भूरिया कमेटी ने 17 जनवरी 1995 को अपनी रिर्पोट तत्कालीन केन्द्र सरकार को सौपीं थी । भूरिया कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही 27 वें वर्ष म.प्र.शासन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवम्बर 2022 जनजातीय गौरव दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति द्रोपती मुर्मू क द्वारा म.प्र. के शहडोल जिले से पेसा एक्ट के प्रकाशन के साथ ही म.प्र.के जनजातीय 20 जिलो के 89 जनजातीय विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले 5 हजार 254 ग्राम पंचायत और 11 हजार 757 ग्राम में लागू हो गया।

पेसा एक्ट का मुख्य उद्देष्य जनजातीय ग्राम, आवासों का समूह, फलिया, हेमलेट, मजरा, टोला या पारा जो लागू हो ऐसे क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन कर ग्राम सभा के माध्यम से वर्षो से निवासरत स्थानीय समुदाय की रूढिया, परम्पराओं, इनकी सांस्कृतिक पहचान,इनके सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित तथा संरक्षित करना है जिससे इन्हें जल, जंगल और जमीन के अधिकार प्राप्त हो सके। एक्ट राजपत्र में 24 अध्याय एवं 33 अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है एक्ट में जनजातीय एवं स्थानीय समुदाय के संरक्षण के लिऐ महत्वपूर्ण उपबंधों के तहत विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त बना कर गॉधी जी क्या स्वराज की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का सराहनीय कदम है । गॉधी जी के अनुसार " भारत के सच्चे लोकतंत्र में गांव बुनियादी इकाई है। सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे 20 लोगों से नहीं चल सकता इसके लिऐ सभी गांवों के लोगों को नीचे से ही काम करना होगा। " पेसा एक्ट 2022 में स्वशसन की अवधारणा को साकार करने के लिऐ शक्तियॉ ग्राम सभा को प्रदान किया गया है इसके अंतर्गत ग्राम सभा आवश्यकतानुसार विभिन्न समितियों का गठन कर ग्राम सभा स्थानीय संसाधनों, गांव के विकास के लिऐ योजना बनाने व क्रियांन्वयन में शासन का सहयोग प्रदान करना, स्थानीय रूढिया, परम्पराओं, इनकी सांस्कृतिक पहचान, को सुरक्षित तथा संरक्षित किया जाऐगा ।

- **ग्राम सभा का गठन :–** ग्राम सभा का गठन ऐसे क्षेत्रों के किसी आवास, या आवासों का समूह या टोला, मजरा या फलिया के मतदाताओं की इच्छा हो जो अपनी समुदाय, परम्पराओं और रूढियों के तहत अपनी दैनिक कार्यकलापों का संचालन एवं प्रबंधन करते हो में किया जाऐगा एक गांव में एक से अधिक या संयुक्त ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। ऐसे ग्राम के पचास प्रतिशत या अधिक मतदाताओं के द्वारा ग्राम सभा के गठन हेतु प्रस्ताव ग्राम पंचायत के माध्यम या सीधे उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को भेज सकेंगे।ग्राम सभा गठन प्रस्ताव की एक प्रति कलेक्टर को ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रेषित की जाऐगी । उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एक माह के अंदर ग्राम सभा गठन की सार्वजनिक सूचना निष्चित प्रारूप में सार्वजनिक

भवनो में चस्पाकर तथा डोंडी पिटवाकर या स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में जानकारी प्रकाशित की जाऐगी साथ ही एक माह के भीतर ही ग्राम की सीमा के भीतर किसी प्रकार की दावा, आपत्ति या सुझावप्रस्तुत किया जा सकेगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य होगें जो ग्राम पंचायत में किसी राजनैतिक या सरकारी पद पर न हों जिसका चयन सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर किया जाऐगा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम पंचायत का सचिव ही होगा जिसके द्वारा समस्त अभिलेखों का संधारण किया जाऐगा।

- **शांति एवं विवाद निवारण समिति :–** ग्राम सभा गॉव में शांति बनाऐ रखने एवं परम्परागत पद्धति (तौर तरीके) से ग्राम के विवाद या लडाई झगडें के निपटान के लिऐ ग्राम सभा के मतदाताओं से ही 5 से 7 सदस्यो का चयन कर समिति का गठन कर सकती है । समिति के सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिलाओं का होना एवं ग्राम सभा की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। ग्राम सभा द्वारा समिति का गठन कर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को देने होगा जिससे पुलिस विभाग समिति के साथ समन्वय स्थापित कर सके। ग्राम सभा के किसी निर्णय के विरूद्व ग्राम सभा में अपील किया जा सकेगा इस समिति से सम्बंधित समस्त अभिलेखों का संधारण समिति के सचिव द्वारा किया जाऐगा। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम से सम्बंधित किसी प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज होती है तो समिति को सूचित किया जाऐगा। **समिति कोई भी ऐसा निर्णय नही करेगी** जो तत्समय प्रवृत्त प्रचलित विधि के विरूद्ध, स्थानीय समुदायों की रूढियों ,परम्पराओं को नुकसान पहुचाऐ या शासकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न करें।
- **भूमि प्रबंधन :–** भूमि प्रबंधन से सम्बंधित प्रावधान मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 मे कुछ अपवाद और उपांतरण के कानूनों में बदलाव कर ग्राम सभा को भूमि प्रबंधन से सम्बंधित अधिकार प्रदान किया गया है जिसके तहत ग्राम सभा किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुऐ ग्राम सभा या ग्राम सभा भूमि प्रबंधन समिति गठन कर उसके माध्यम से कृषि हेतु योजना बना सकती है जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके । इसके अलावा ग्राम सभा ग्राम में हो रहे भूमि कटाव की रोकथाम के लिऐ योजना , फसलो को पालतु पशुओ एवं अन्य जानवरों से बचाने के लिऐ चराई से सम्बंधित योजना, खेती हेतु उन्नत बीज, खाद की व्यवस्था कराना, इनके उपयोग के तौर तरीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराना, किसानों को जैविक खेती करने हेतु प्रेरित कर योजना बनाना । ग्राम सभा द्वारा निर्मित कृषि योजना कृषि विभाग को प्रेषित करना जिससे विभाग क्रियान्वयन कर सके।

  ग्राम की निजी भूमि/शासकीय भूमि के भू–अभिलेखों का संधारण पटवारी एवं बीट गार्ड के द्वारा किया जाऐगा एवं वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में ग्राम की सीमा के अंदर आने वाली भूमि राजस्व एवं वन अभिलेख जैसे नक्शा, खसरा, बी–1 आदि ग्राम सभा को उपलब्ध कराया जाऐगा। यदि अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रटि पाई जाती है तो 15 दिवस के अंदर ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर प्रकरण सक्षम राजस्व अधिकारी को भेजा जाऐगा सक्षम अधिकारी विधि अनुरुप कार्यवाही कर तीन माह के अंदर कर पटवारी के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा । यदि किसी के द्वारा शासकीय या सामुदायिक भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी ग्राम में यदि भूमि बिक्री, अनुबंध कृषि ,निजी भूमि हस्तांतरण होने पर ग्राम सभा को पूर्व में सूचना देना होगा। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जनजाति की भूमि शासकीय कार्यो के उपयोग, भू–अधिग्रहण या अन्य विधिक प्रावधानों के विपरीत गैर जनजाति व्यक्ति को हस्तांतरित न हो सके। ग्राम सभा को ऐसा लगता है कि किसी जनजाति व्यक्ति की भूमि गैर जनजाति व्यक्ति के नाम कर दी गई है या इस आशय के प्रयास किऐ जा रहे है तो उसे वापिस करने की पहल कर सकती है।

  अधिसूचित क्षेत्रो में भू–अर्जन के सभी प्रकार के मामले मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 16, नियम 6, नियम 15 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण के लिऐ जनसुनवाई कर ग्राम सभाओं से परामर्श लिया जाऐगा जिससे सामाजिक समाघात का निर्धारण किया जा सके। जनसुनवाई ऐसे समस्त ग्राम सभाओं में किया जाऐगा जहॉ भूमि के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवासरत सदस्य प्रभावित होते हो । यदि ग्राम सभा को ऐसा लगता है कि कोई गैर जनजाति व्यक्ति किसी आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि छल या कपट से बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के कब्जा में है तो उसे वापिस कराने की कार्यवाही करेगा।
- **जल संसाधनों एवं लघु जल संभर योजना और प्रबंधन :–** इसके अंतर्गत ग्राम सभा ऐसे समस्त शासकीय, सामुदायिक अथवा निजी जल संसाधन जो कि एक ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र के भीतर आते हो उन जल स्त्रोंतो में प्रदूषण को रोकना ,सिचाई, मत्स्यपालन, पेयजल व्यवस्था, जलसंभर के सम्बंध में ग्राम सभा का विनिश्चय सभी स्तर की पंचायत (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत) के लिऐ बाध्यकारी होगा। ग्राम सभा लघु जल संभर के तहत 0 से लेकर 10 हेक्टेयर, 10 से अधिक किन्तु 100 से कम हेक्टेयर जनपद पंचायत एवं 100 से अधिक किन्तु 200 हेक्टेयर तक जल संभर जिला पंचायत कर सकेगी का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता व मछलियो की प्रजातीय विविधता को बनाऐ रखने के लिऐ मत्स्य आखेट पर नियंत्रण के लिऐ नियम बना सकेगी।
- **खान और खनिज का प्रबंधन :–** मध्यप्रदेश गौंण खनिज नियम,1996 के नियम 18 के अंतर्गत अनुसूची एक एवं अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट गौंण खनिजों के अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा प्रदान करने, के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा । उत्खनन पट्टा स्वीकृति के समय अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसायटियों/सहयोजन, अनुसूचित जनजाति की

महिला/पुरुष आवेदक को उनके संवर्ग में प्राथमिकता दी जाऐगी । खनिज विभाग ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गौंण खनिज के सभी उत्खनन पट्टा, आबंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदान करेगा एवं गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और सम्बंधित समस्त शिकायतों का संज्ञान लेगा एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगा।

- **मादक पदार्थो पर नियंत्रण** :– अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति या अनुमति नवीन मदिरा दुकान खोलने के लिऐ आवश्यक होगा। ग्राम सभा ग्राम क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक स्थल, परिसर में शराब, भांग का उपयोग प्रतिबंधित कर सकती है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में यदि मादक पदार्थो के सम्बंध में निषेधाज्ञा जारी करती है तो ग्राम सभा ग्राम की सीमा के भीतर इसे लागू कराने के लिऐ आवश्यक कदम उठा सकती है यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड अधिकतम रु 1000/ लगा सकती है। ग्राम सभा को देशी/विदेशी शराब की नवीन दुकान खोलने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने पर इसके 45 दिन के अंदर सर्वसम्मति से निर्णय बताना होगा यदि ग्राम सभा किसी निर्णय पर नही पहुॅचती है तो यह माना जाऐगा कि ग्राम सभा की सहमति है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 16 के अधीन प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को स्वंय के उपयोग /धार्मिक कार्य हेतु प्रति व्यक्ति अधिकतम 4.5 लीटर तक तथा प्रति परिवार को 15 लीटर तथा सामाजिक एवं धार्मिक प्रायोजनों के लिऐ तथा 45 लीटर मादक द्रव्य बनाने /रखने छूट है। ग्राम सभा चाहे तो ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार में मादक द्रव्य पदार्थो के बनाने व रखने को प्रतिबंधित कर सकती है या निर्धारित आधिपत्य की सीमा को कम कर सकती है।
- **श्रम शक्ति योजना और श्रमिकों का नियमन** :– ग्राम सभा गांव से हो रहे श्रमिक पलायन को रोकने के लिऐ एवं श्रमिको को गॉव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से योजना बना सकेगी । ऐसे कार्य जिनमें मस्टर रोल का उपयोग होता है से संबंधित कार्य शुरू होने के पहले दिन ऐसे मस्टर रोल की जानकारी ग्राम सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी यदि उसमें किसी प्रकार की त्रटि हो तो उसमें सुधार किया जा सके। नियत मजदूरी दर को गांव के सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाऐगा । यदि किसी संस्था अथवा कोई व्यक्ति द्वारा श्रमिको कार्य के प्रायोजन से बाहर ले जाता है तो उसकी पूरी जानकारी ग्राम सभा को दी जाऐगी एवं नियत दर कम भुगतान करने पर शिकायत मिलती है तो शांति एवं न्याय समिति उचित कार्यवाही करेगी । ग्राम सभा प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों से परामर्श कर उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करेगी ।
- **गौण वनोपज का परम्परागत प्रबंधन** :– अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वनो के संवहनीय एवं वनों का परम्परागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा स्वयं अथवा सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगा । समिति गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर सकेगा जिसके लिऐ विभाग से परामर्श ले सकेगी । ग्राम सभा समिति के माध्यम से इनके समुचित दोहन तथा जैवविविधता का रक्षण एवं संवर्धन कर सकेगा। एक या एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो वनोपज की खरीदी एवं बिक्री के लिऐ न्यूनतम मूल्य का निर्धारण सम्बंधी परामर्श वन विभाग से संयुक्त रुप से ले सकेगी। ग्राम सभा चाहे तो तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी इसके लिऐ ग्राम सभा संग्रहण वर्ष के पूर्व में 15 दिसम्बर तक इस आशय का प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को जानकारी प्रदान करे नही तो तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से किया जाऐगा। ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के साथ पर्यावरण में सुधार का कार्य करेगा। ग्राम सभा ग्राम के परिवार और सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे निस्तार, चराई कृषि उपकरण बनाने के लिऐ लकडी, बांस तथा पारम्परिक संस्कार में काम आने वाले लकडी व अन्य वस्तुओं को आवश्यकतानुसार निकालने की व्यवस्था करेगा।
- **बाजारों तथा मेलो पर नियंत्रण** :– ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र में आयोजित बाजार एवं मेलो का विनियमन , फीस संग्रहण का कार्य तथा सार्वजनिक नीलामी म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में दिऐ प्रावधान के अनुसार कर सकेगा।
- **साहूकारी नियंत्रण** :– अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का कारोबार करने पर कारोबारी को म.प्र. अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियमन 1972 के तहत लायसेंस प्राप्त करना होगा इस आशय का लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी लायसेंस की एक प्रति ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम ग्राम सभा को जानकारी प्रेषित की जावेगी। साहूकार को उसके द्वारा दिऐ गऐ या चुकाऐ गऐ ऋण का ग्रामवार विवरण उपखंड अधिकारी (राजस्व) को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेगा। उपखंड अधिकारी (राजस्व) ग्राम पंचायत के माध्यम से जानकारी ग्राम सभा को प्रदान की जाऐगी। यदि किसी साहूकार के विरूद्व किसी व्यक्ति की शिकायत मिलने पर ग्राम सभा विचार कर शिकायत सही पाऐ जाने पर उचित जॉच एवं कार्यवाही के लिऐ प्रकरण उपखंड अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित की जाऐगी उपखंड अधिकारी (राजस्व) द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्राम सभा को 45 दिवस के अंदर सूचित करेगा।
- **सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं और कार्यकर्त्ताओं पर नियंत्रण** :– ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार में संचालित सामाजिक योजनाओं जैसे शैक्षणिक संस्थाऐ, छात्रावास, आंगनबाडी एवं स्वास्थ्य सेवाऐ इत्यादि का समय समय पर निरीक्षण, पुनरीक्षण तथा सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सक्षम होगी ग्राम सभा निरीक्षण हेतु समय समय पर स्थाई या तदर्थ समिति का गठन कर सकेगी समिति निरीक्षण रिर्पोट ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगा। ग्राम सभा

यदि निरीक्षण स्कूलो, छात्रावासों तथा आश्रमों का किया जाता है तो समिति में पालक शिक्षक संघ के कम से कम दो सदस्य अवश्य होना चाहिऐ जिसमें एक महिला हो। ग्राम सभा योजनाओ का लाभ निर्धारित मापदंड को पूर्ण करने वाले एवं वरीयता प्राप्त हितग्राही को मिले यह सुनिश्चित करेगा।

आंगनबाडी केन्द्रों में गठित सहयोगिनी मातृ समिति में नामांकित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन पश्चात ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा इस समिति में कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना चाहिऐ समिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिला होगी । समिति आंगनबाडी केन्द्रों में संचालित समस्त योजनाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन ग्राम सभा को त्रैमासिक प्रस्तुत करेगा।

सुझाव :–

- मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022, में म.प्र. में लागू कुछ कानूनों में संशोधन करते हुऐ पारित किया गया है जबकि पेसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों मे म.प्र. शासन के समस्त कानूनों जिनका सम्बंध ग्राम से है में संशोधित कर लागू किया जाना चाहिऐ ।
- एक्ट में ग्रामसभा के किसी सम्मिलन के लिऐ गणपूर्ति के लिऐ प्रावधान कुल सदस्यों के एक चौथाई होना चाहिऐ जिसमें महिलाऐ एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिऐ परन्तु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधनों के सम्बंध में गणपूर्ति कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत होगी जिसमें एक तिहाई महिलाऐ होगी यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति लगातार दो बैठक में पूर्ण नही होती है तो तीसरी बैठक में गणपूर्ति कम से कम 25 प्रतिशत किया जाना न्यायसंगत नही है। यदि लगातार दो बैठक में गणपूर्ति नही होती या बैठक स्थगित होती है तो ऐसे प्रस्ताव को खारिज माना जाना चाहिऐ ।
- एक्ट में प्रावधान है कि स्थानीय पुलिस स्टेषन में ग्राम से सम्बंधित किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने पर " शांति एवं विवाद निवारण समिति " को सूचित करेगा जबकि प्रावधान होना चाहिऐ कि जब ग्राम सभा के अनुशंसा कर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करने पर रिपोर्ट दर्ज किया जाना चाहिऐ।
- प्रत्यके ग्राम सभा में ही ग्राम सरकार का गठन होना चाहिऐ एवं जिले में जिला सरकार का गठन होना चाहिऐ।
- ग्राम सभा के अंतर्गत पारम्परिक न्याय करने के लिऐ ग्राम न्यायालय एवं जिला न्यायालय गठन कर समस्त असंज्ञेय अपराधों को पारम्परिक न्यायालय के अधीन किया जाना चाहिऐ।
- आधुनिक समय में जनजातीय समाज के भाषा, संस्कृति, रूढि, परम्पराओं एवं प्रथाओं का हस्तांतरण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है अतः अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर स्थानीय समुदायों की भाषा–संस्कृति पर आधरित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिऐ जिससे इनकी संस्कृति और परम्पराओं का संवर्धन व इनको संरक्षण प्राप्त हो सकेगा ।

चुनौतियॉ :– म.प्र राज्य में पेसा एक्ट आदिवासी शहीदों के अरमानों और गॉधी जी के सपनों का गॉव ग्राम स्वराज्य की स्थापना की दिशा में पहला निर्णायक कदम है किन्तु इस एक्ट का सफलतापूर्वक कियान्वयन में विभिन्न चुनौतियॉं है इस कानून का जमीनी स्तर तक पहुॅच बनाने के लिऐ राज्य सत्ता से जुडे नेतृत्वकर्त्ता, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी , पंचायत के सदस्यों को इसके कानून नियम को आत्मसात कर पूर्णतः कियान्वयन बडा कदम होगा साथ ही जहॉ आज भी जनजाति समूह का एक बडा तबका शिक्षा एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जिज्ञासु नही है इस बदलाव को समझ सके । उनमें ग्राम सभा की गरिमामयी भूमिका का एहसास कराना जिसके माध्यम से ये अपनी पारम्परिक संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन कर सके। पेसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी के साथ ही गैर आदिवासियों की भावना के साथ समन्वय कर क्रियान्वयन करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा । वर्तमान में नगरीकरण और आधुनिकीकरण का प्रभाव जनजाति समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है उन्हें अपने मूल पारम्परिक रूढियों, प्रथाओं को आत्मसात एवं समायोजन करने हेतु नवयुवको को प्रेरित कर सोच में बदलाव लाना किसी चुनौती से कम नही है।

निष्कर्ष :– जनजातीय समाज के विकास एवं उत्थान के लिऐ विभिन्न कानून और प्रावधान रखे गऐ जिसके माध्यम से इन्हें सम्पूर्ण कर विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके किन्तु आजादी के 75 वर्ष बाद भी जनजातीय समाज अपने अधिकारों के लिऐ संघर्षरत है ऐसे में म.प्र.शासन द्वारा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिऐ पेसा एक्ट लागू करना स्वागत योग्य निर्णय है । पेसा एक्ट के तहत अब सभी संस्थाऐं एवं अधिकारी ,कर्मचारी ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होगें केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा बनाऐ नियम या कानून ग्राम सभा की गरिमा के अनुरूप बाध्यकारी न होकर मार्गदर्शक की तरह कार्य करेगें । एक्ट का सफलतापूर्वक कियांन्वयन हो यह निर्भर करता है ग्राम सभा को कानून – नियम की समझ हो एवं इसका कियान्वयन सही तरीके से हो अधिकारी कर्मचारियों की इच्छाशक्ति पर है। एक्ट का तात्कालिक असर प्रदेश के कुछ ग्राम सभा में देखा जा सकता है जहॉ जनहित को ध्यान में रख कर सराहनीय निर्णय लिया जा रहा है : जैसे हाल ही में डिडौरी जिले के ग्राम मुडियाकला, चिरईपानी और सैलवार में जहॉ की ग्राम सभा द्वारा शराबबंदी समिति का गठन कर पूर्ण शराब बंदी का सर्वसम्मति से विनिश्चय किया एव नियम तोडने पर दंड का प्रावधान किया साथ ही जिले की अधिकांश ग्राम सभा तेन्दूपत्ता खरीदी समिति के माध्यम से करने का भी विनिश्चय किया है । मंडला जिले के बिछिया एसडीएम न्यायालय ने ग्राम सभा की मूल भावना के अनुरूप निर्णय कर एक प्रभावशाली परिवार से 43 साल पहले गफलत कर हडपी 2.71 हैक्टेयर आदिवासी जमीन का मालिकाना हक आदिवासी परिवार को वापस किया गया ,इसी प्रकार का निर्णय ग्राम सभा हिरदेनगर जिला मंडला के द्वारा लिया गया जहॉ वर्षो से

मचलेश्वर(हिरदेनगर) पशु मेले का आयोजन जनपद पंचायत मंडला के द्वारा किया जाता था अब ग्राम सभा करेगी। निश्चित ही ग्राम सभा और प्रशासन मिलकर पेसा एक्ट में दिऐ प्रावधानों के अनुरूप कार्य करते हैं तो इसके दूरगाामी प्रभाव क्रांतिकारी होगे जिससे वास्तव में गॉधी जी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को मूर्तता एवं जनजाति जननायकों के द्वारा जल, जंगल और जमीन पर अधिकार ग्राम की परिकल्पना साकार होगी, तभी वास्तव में जनजाति समुदाय के पारम्परिक रूढियॉ, प्रथाओं, भाषा और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विजय शंकर उपाध्याय एवं विजय प्रकाष शर्मा , भारत में जनजातीय संस्कृति , मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी , भोपाल , प्रथम संस्करण 19989 , पृ.क्र 123 , 133
2. डॉ. आर.बी. ताम्रकार , भारत में सामाजिक परिवर्तन ,राम प्रसाद एण्ड संस भोपाल –1, तृतीय संस्करण, पृ.क्र. 255–265
3. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 589 भोपाल, मंगलवार, दिनॉक 15 नवम्बर 2022 – कार्तिक 24,शक 1944
4. डॉ. शिवशंकर तिवारी, डॉ. श्रीकमल शर्मा, मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, संस्करण सप्तम (आवृत्ति) 2007 पृ.क्र. 1–7
5. डॉ.ए.पी.श्रीवास्तव , डॉ.एल.एस.गजपाल , समाजशास्त्र , रामप्रसाद एण्ड संस भोपाल , पृ.क्र.94,103,189–191
6. डॉ.श्रीनाथ शर्मा, जनजातीय समाजशास्त्र,मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल,संस्करण पंचम (आवृत्ति) 2007 पृ.क्र.1–6
7. डॉ.ए.आर.एन.श्रीवास्तव, जनजातीय भारत मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल,संस्करण द्वितीय(संशोधित–परिवर्द्वित) 2007 पृ.क्र.154–161
8. मधु काचरू, नीलिमा झा, कुसुमा भारद्वाज, भारत में सामाजिक परिवर्तन स्त्रोत,प्रक्रिया एवं परिणाम, विवेक प्रकाशन दिल्ली पृ.क्र.163–166 , 193,195–198
9. महेश कुमार बर्णवाल, शैलेन्द्र कुमार बर्णवाल , भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था ,कोसमॉस पब्लिकेसन दिल्ली, संस्करण : 2021 पृ.क्र. 46–55
10. https://byjus.com/ias-hindi/scheduled-tribes-in-hindi/
11. डॉ. रवीन्द्रनाथ मुकर्जी , डॉ. भरत अग्रवाल ,समाजशास्त्र ,एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन आगरा संस्करण 2021–22 पृ.क्र. 75–78
12. https://bharatdiscovery.org/india
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग विशेष रिपोर्ट जनजातीय विकास और प्रशासन के लिऐ सुशासन मई 2012 अ0शा0 संख्या 4/1/12/समन्वय दिनॉक 18.06.2012
14. भारत का संविधान, म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, संस्करण तृतीय (आवृत्ति) 2015 पृ.क्र. 110
15. भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय भारत का संविधान (1 अप्रैल 1986 को यथाविद्यमान) प्रबंधक,भारत सरकार मुद्राणालय कोयम्बतूर पृ.क्र. 80 –81,165–182
16. https://koyabhoomkal.blogspot.com/
17. दैनिक भास्कर डिंडौरी आसपास मंगलवार 03 जनवरी 2023
18. दैनिक भास्कर मंडला भास्कर गुरूवार 12 जनवरी 2023